राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 11/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/10
दायर दिनांक– 09.02.2024
निर्णय दिनांक– 20.02.2024

1. अन्नू कुमार मोर्य पुत्र पांचूराम जाति रेगर
2. गोविन्द गवारिया पुत्र प्रेमराज जाति गवारिया
3. परमेश्वर पुत्र कानाराम जाति बावरी

सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी,अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम दरडून्द पटवार हल्का निटूटी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 25 के ख0न0 472/164 रकबा 1.2539 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि आराजी संयुक्त खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। वाद वर्णित आराजी का भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2020 के अनुसार मूल ख0न0 164 रकबा 166 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल 3 बीघा 10 बिस्वा, बारानी दोयम 55 बीघा 02 बिस्वा, बंजड़ अव्वल 108 बीघा 01 बिस्वा, गैर मुमकिन 01 बिस्वा है। उक्त वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की भूमि की किस्म संहवन से गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दी गयी है जबकि प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित आराजी की सही एवं वास्तविक किस्म भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 के अनुसार मूल ख0न0 164 रकबा 166 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल 3 बीघा 10 बिस्वा, बारानी दोयम 55 बीघा 02 बिस्वा, बंजड़ अव्वल 108 बीघा 01 बिस्वा, गैर मुमकिन 01 बिस्वा के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी। प्रार्थी की खातेदारी की वाद वर्णित भूमि की किस्म सहवन से गैर मुमकिन नाला वर्तमान जमाबन्दी में कर दी गई है। जिसको पुराने रिकार्ड अनुसार दुरूस्त करवा कर प्रार्थी की कृषि भूमि की सही किस्म मूल ख0न0 164 के रकबे में दर्ज किस्म के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दुरूस्ती करवाना चाहते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाव अनुसार वाद वर्णित आराजी खाता संख्या 25 के ख0न0 472/164 रकबा 1.2539 है0 भूमि ग्राम दरडून्द में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि एकल खातेदारी में प्रार्थी के नाम दर्ज है। वाद वर्णित आराजी भू प्रबंध विभाग खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी संवत् 2010–19 में ख0न0 164 के टुकड़े जिनसे ख0न0 164 बना है। जो ख0न0 274 रकबा 213–15–00 बीघा किस्म बंजड़ अव्वल, ख0न0 278 रकबा 49–14–00 बीघा किस्म बारानी दोयम 24–16–00 बीघा, बंजड़ अव्वल 24–16–00, गै0मु0 00–01–00 बीघा, ख0न0 58 रकबा 14–03–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल व ख0न0 273 रकबा 128–05–00 बीघा किस्म बारानी दोयम रिकार्ड में दर्ज है। भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2020 में

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ख0न0 164 रकबा 166–14–00 बीघा की किस्म बारानी अव्वल 03–10–00 बीघा, बारानी दोयम 55–02–00 बीघा, बंजड़ अव्वल 108–01–00 बीघा, गैर मुमकिन 00–01–00 बीघा दर्ज रिकार्ड है। संवत् 2032 में प्रार्थी को भूमि आवटंन के दौरान भूमि की किस्म बारानी थी। जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 चौसाला में ख0न0 164 मी. रकबा 24–00–00 बीघा किस्म बारानी 2, ख0न0 164 मी. रकबा 08–'00–00 बीघा किस्म बारानी 2 व ख0न0 164 मी. रकबा 134–14–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल 03–10–00 बारानी दोयम 23–02–00 बीघा बंजड़ अव्वल 108–01–00 बीघा, गैर मुमकिन 00–01–00 बीघा दर्ज रिकार्ड थी। पश्चातवर्ती वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में ख0न0 164/1 रकबा 91–14–00 बीघा किस्म नाले, ख0न0 164/6 रकबा 11–00–00 बीघा किस्म नाले जिम्मन नम्बर 01 (सिवायचक खाते) में नदियां व नाले शीर्ष में दर्ज है। पश्चातवर्ती संवत् 2042 में ख0न0 164/1 व 164/6 को सम्मिलित कर ख0न0 164/1 रकबा 102–14–00 बीघा दर्ज कर किस्म नाले दर्ज किया एव उक्त ख0न0 164/1 रकबा 102–14 बीघा किस्म नाले में से 164/1/8 रकबा 10–00–00 बीघा गै0मु0 नाला दर्ज है। उक्त खातेदारों को उक्त भूमि बैचान से प्राप्त हुई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने मूल ख0न0 164 में वर्णित किस्म के अनुसार सही व वास्तविक रिकार्डेड किस्म का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत इदान बनाम स्टेट 2001 RRT (1) पृष्ठ 244 और गीगाराम बनाम राजस्व मंडल 2008 RRT (1) पृष्ठ 151 पर पेश किये जो इस प्रकरण पर लागू होते है। तहसीलदार रूपनगढ़ ने वाद वर्णित भूमि की किस्म गै0 मु0 नाला से बारानी की जाने हेतु अनुशंषा जाहिर की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित भूमि की किस्म संवत् 2010–19, 2020 व 2025 से 2028 में गै0मु0 नाला दर्ज नहीं थी। संवत् 2041 में रिकार्ड में बिना सक्षम न्यायालय के किस्म परिवर्तन कर बारानी से गै0 मु0 नाला दर्ज कर दिया गया। विधि का यह सुसंस्थापित सिद्धांत है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू प्रबंध विभाग के अधिकारी दौराने भू प्रबंध किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म गै0मु0 नाला से बारानी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अभिलाषा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)